न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2023/165

प्रकरण संख्या 54/23

अनवान

1. श्री भेरू सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्रीमती धापू कुंवर उर्फ केसर कुंवर पुत्री गोविन्द सिंह निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्रीमती रूप कुंवर उर्फ भवर कुंवर पुत्री गोविन्द सिंह निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र गोविन्द सिंह निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री मनोहर सिंह पिता जय सिंह राजपूत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री किशोर सिंह पिता मदन सिंह राजपूत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री देवी सिंह पिता नवल सिंह राजपूत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री भेरू सिंह पिता नवल सिंह राजपूत निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री रामलाल पिता मांगीलाल रेबारी निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्रीमती शम्भु बाई पत्नि मांगीलाल रेबारी निवासी माण्डकला तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सा भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री सुशील जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 17.10.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा माण्डकला पटवार मण्डल सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 60 की आराजी नम्बर 1589/411, 417, 418 कुल किता 03 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त कुलिया भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता भंवर सिंह के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार प्रार्थी एवं उसके परिवारजन खातेदार काश्त होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिवत्यधारी है तथा उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि कलम नंबर 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के पडौस में विपक्षीगणों की भूमि आ गई और प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण विवाद करते है तथा प्रार्थी की खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते है एवं भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने की धमकियां देते है तथा विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद पैदा किया जा रहा है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नंबर 1 में वर्णित भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति मे पक्की पत्थरगढी तहसीलदार के मार्फत कराई जावें एवं मौके पर पत्थर गडवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 6 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता के नाम पर खातेदारी हक सें अंकित है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा माण्डकला पटवार मण्डल सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 60 की आराजी नम्बर 1589/411, 417, 418 कुल किता 03 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.14 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।